निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1932 (श0)
(सं0 पटना 559) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2010

सं0 1 प्रा0आ0–04/2010/1940/आ0प्र0,
आपदा प्रबंधन विभाग

———

संकल्प
6 अगस्त 2010

विषयः–13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति के संबंध में।

12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के राज्यादेश संख्या 560, दिनांक 11 मार्च 2006 के माध्यम से आपदा राहत कोष के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। उक्त आपदा राहत कोष के संचालन के संबंध में केन्द्र सरकार के आपदा राहत कोष संबंधी निदेशों के अनुरूप तत्कालीन साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग (वर्त्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग) के संकल्प ज्ञाप संख्या 64, दिनांक 27 मार्च 1991 के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा राहत कोष समिति का गठन किया गया था।

2. 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में, जो वित्त विभाग (वित्त आयोग प्रभाग) के पत्रांक 2320, दिनांक 5 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त हुई है, वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन किया जाना है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जानी है। वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 4233, दिनांक 21 अप्रील 2010 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 8 अप्रील 2010 को 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रसंग में आयोजित बैठक की कार्यवाही प्रचारित की गयी। उक्त कार्यवाही की कंडिका 3 के अनुसार आपदा राहत कोष की जगह अब राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के गठन की कार्रवाई की जानी है।

3. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) का निम्नवत् गठन किया जाता हैं : –

3.1 वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) का गठन किया जाता हैं। इस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, ओलावृष्टि, भू–स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटने तथा कीट आक्रमणों से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्त्ति हेतु किया जाएगा।

3.2 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष को शीर्ष ''8235–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों–111–आपदा राहत निधि–0001–राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के अन्तर्गत सहायता अनुदान'' के अन्तर्गत वर्गीकृत एवं लोक लेखा में रखा जायेगा।